



IHPC Limited

(A Government of India Enterprise)

फोन/Phone : **20.12.2016**

दिनांक/Date:

NH/CS/199 संदर्भ सं./Ref. No.

Manager

The Listing Department, M/s BSE Limited.

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai-400001

मैनेजर, लिस्टिंग विभाग, बीएसई लिमिटेड पि.जे. टावर्स,दलाल स्ट्रीट,

मुंबई- 400 001

Scrip Code: 533098

General Manager

The Listing Department

M/s National Stock Exchange of India

Limited,

Exchange

Plaza, Bandra

Kurla

Complex, Bandra (E), Mumbai-400051

महाप्रबंधक, लिस्टिंग विभाग,

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई),

मंबई - 400 051

Scrip Code: NHPC EQ

Sub: Closure of Trading Window of NHPC Ltd.

विषय: एनएचपीसी लिमिटेड की टेडिंग विंडो बंद के संदर्भ में।

Sir/महोदय,

Please find enclosed herewith a circular regarding closure of trading window from 21st December, 2016 to 24th December, 2016 (both days inclusive).

It is requested to kindly disseminate the same on your website.

कृपया एनएचपीसी लिमिटेड दवारा ट्रेडिंग विंडो को 21 दिसम्बर, 2016 से 24 दिसम्बर, 2016 (दोनों दिन शामिल) तक बंद करने से संबंधित परिपत्र जो की संलग्न है प्राप्त करें ।

कृपया यह सूचना अपनी वैबसाइट पर प्रसारित करें |

धन्यवाद,

संग्लनः ऊपरोक्त अनुसार

भवदीय,

NHPC LIMITED (A Government of India Enterprises)

No. NH/CS/199 (Insider Trading)

Date: 20.12.2016

CIRCULAR

Sub: Notification for CLOSURE OF TRADING WINDOW under the Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insider in Securities of NHPC Limited.

Ref: Circular No. NH/CS/199(Insider Trading) dated 15th May, 2015.

As per clause 6.1 of the Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insider in securities of NHPC Limited (the code), the company shall specify a trading period, to be called "Trading Window", for trading in the Securities. The trading window shall be closed during the occurrence of price sensitive events mentioned in clause 6.2 of the code. The period of closure shall be effective from 7 days prior to the date on which the meeting of the Board of Directors is proposed to be held and extend upto 48 hours after the information is made public or such other period as may be specified by the Compliance Officer from time to time in consultation with Chairman & Managing Director.

A meeting of the Board of Directors of NHPC Limited is proposed to be held on 22^{nd} December, 2016 to consider the proposal for declaration of Interim Dividend for the year 2016-17.

Declaration of dividend (Interim and Final) is price sensitive information falling under clause 6.2 of the code. Therefore, in compliance of the Clause 6.1 & 6.2 under Chapter-VI of the code, it is hereby notified that the PROHIBITED PERIOD FOR EMPLOYEES SHALL COMMENCE FROM $21^{\rm st}$ DECEMBER, 2016 AND WILL END ON $24^{\rm TH}$ DECEMBER, 2016 (BOTH DAYS INCLUSIVE). The Trading Window will re-open from $25^{\rm th}$ December, 2016 for trading in the NHPC Equity Shares / Securities.

All Designated Persons and their Immediate Relatives are hereby notified that they are prohibited to deal in any transaction involving sale or purchase of NHPC's Equity Shares / Securities during the above prohibited period.

Any Designated Person (covered under the above Code) who trades in NHPC's Equity Shares / Securities or communicates any Price Sensitive Information for trading in NHPC's Equity Shares / Securities, in

contravention of the above Code of Conduct, will attract the penal provisions under Chapter-X of the said Code.

All Designated Employees as per the code are requested to take note of the above. Heads of the Department in Corporate Office and Heads of Projects / Power Stations / Units / L.O.s are also requested to bring the above circular to the notice of Designated Employees of the respective department / Project / Power Station / Unit / Office under their control.

Chief Investor Relations Officer is requested to arrange to make announcement in the office through Public Address System about the closure of trading window on a daily basis upto 24th December, 2016. The text of the announcement is attached hereto.

This circular is being hosted on the intranet of the company and also need to be displayed on the Notice Boards of the concerned offices.

(Vijay Gupta) Company Secretary &

Compliance Officer for the code

Distribution: Standard

TEXT OF ANNOUNCEMENT

It is brought to the notice of all Designated Persons covered under the Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insider that Trading Window shall remain closed from 21st December, 2016 to 24th December, 2016 (both days inclusive). During the closure of Trading Window Designated Persons are advised not to deal in the shares of NHPC either in their own name or in the name of their Immediate Relatives.

Any contravention shall be dealt with in accordance with the provisions contained in the said code.

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

सं.एनएच/सीएस/199(इनसाइडर ट्रेडिंग)

दिनांक: 20.12.2016

<u>परिपत्र</u>

विषय: एनएचपीसी की प्रतिभूतियों में आन्तरिक व्यापार (इनसाइडरट्रेडिंग) की रोक के लिए कोड के तहत ट्रेडिंग विन्डों के बन्द रहने की अधिसूचना।

संदर्भ: परिपत्र सं. एनएच/सीएस/199 (इनसाइडर ट्रेडिंग) दिनांक 15 मई 2015।

एनएचपीसी की प्रतिभूतियों में आन्तरिक व्यापार पर रोक के लिए कोड के खण्ड 6.1 के अनुसार कंपनी एक ट्रेडिंग अविध विनिर्दिष्ट करेगी जिसे प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए 'ट्रेडिंग विन्डों' के नाम से जाना जाएगा। उक्त कोड के खण्ड 6.2 में उधृत मूल्य से संबंधित संवेदनशील सूचना मामले संबंधी घटना के दौरान ट्रेडिंग विन्डों बन्द की जाएगी। यह बन्द की अविध बोर्ड मीटिंग आयोजित करने की प्रस्तावित तारीख से 7 दिन पहले से प्रभावित होगी तथा संवेदनशील सूचना के सार्वजनिक हो जाने के 48 घन्टे की अविध के बाद तक प्रभावी रहेगी या समयाविध जो अनुपालन अधिकारी द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ परामर्श में समय समय पर निर्दिष्ट की जाएगी।

इस संदर्भ में एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 22.12. 2016 को आयोजित बैठक में अंतरिम लाभांश पर विचार किया जा सकता है।

अंतरिम लाभांश की उदघोषणा मूल्य संबंधी संवेदनशील सूचना है, जो कोड के खण्ड 6.2 के निहित है । अत: कोर्ड के भाग-vi के तहत खण्ड 6.1 व 6.2 के अनुपालन में यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारियों के लिए रोक की अवधि 21.12.2016 से प्रारम्भ होगी तथा 24.12.2016 (दोनो दिनों को मिलाकर) तक ट्रेडिंग विन्डो बन्द रखी जाएगी। एनएचपीसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए ट्रेडिंग विन्डों पुन: 25.12.2016 से खुलेगी।

अतः उपरोक्त कोड के तहत आने वाले सभी पदनामित कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त ट्रेडिंग विन्डों पर लगाई गई रोक की निर्धारित अविध के दौरान एनएचपीसी के इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों की बिक्री अथवा खरीद से संबंधित किसी भी प्रकार के व्यापार पर रोक लगाई जाती है।

कोई भी पदनामित कर्मचारी (उपरोक्त कोड के तहत आने वाले) जो एनएचपीसी के इक्विटी शयरों/प्रतिभूतियों में उपरोक्त आचरण संहिता के उलंघन में व्यापार करता है अथवा एनएचपीसी की इक्विटी शयरों/प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए मूल्य से संबंधित संवेदनशील सूचना का संचार करता है, उक्त कोड के भाग-X के प्रावधानों के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

सभी पदनामित कर्मचारियों से निवेदन है कि कृपया उपरोक्त सूचना को ध्यान में रखें। निगम मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष तथा परियोजना/पावर स्टेशन/यूनिटों/संपर्क कार्यालयों के प्रमुखों से भी अनुरोध है कि कृपया वे उपरोक्त परिपत्र की जानकारी संबंधित विभाग/परियोजना/पावर स्टेशन/यूनिटों/कार्यालयों में अपने नियंत्रणाधीन पदनामित कर्मचारियों की जानकारी में लाएं।

सभी लोक प्रवक्ता (पब्लिक स्पोक्सपरसन) से भी निवेदन है कि वे 24.12.2016 तक ट्रेडिंग विन्डों के बन्द रहने के संबंध में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा कार्यालय में प्रतिदिन उद्योषणा की व्यवस्था करें।

उदघोषणा से संबंधित सामग्री इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

यह परिपत्र कंपनी के इन्ट्रानेट पर भी दिया जा रहा है तथा इसे संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त परिपत्र के लिए अग्रेजी प्रति मान्य है।

(विजय गुप्ता)

कंपनी सचिव व कोड के

लिए अनुपालन अधिकारी

मानक वितरण:

उद्द्योषणा के लिए सामग्री

आन्तरिक व्यापार पर रोक संबंधी कंपनी कोड के अन्तर्गत पदनामित सभी कर्मचारियों की जानकारी में यह सूचना लाई जाती है कि 21.12.2016 से 24.12.2016 (दोनों दिनों को मिलाकर) ट्रेडिंग विन्डों बन्द रहेगी। पदनामित कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे ट्रेडिंग विन्डों बन्द रहने के दौरान अपने अथवा अपने आश्रितों के नाम एनएचपीसी शेयरों संबंधी कोई लेन-देन न करें।

0

किसी भी प्रकार के उलंघन की स्थिति में उक्त कोड में निहित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।